

2021/1579

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0
 आवेदन पत्र के सामान्य में जांच की गई। जिसके अनुसार महेडय निवेदन है कि राजस उक्त धरणा
 के कार्यों 230 में प्रार्थी का नाम अकारंमल पुत्र भागु अकारंमल (अकारंमल) जन्म 1956
 के जन्म 1956 के नाम अकारंमल पुत्र भागु अकारंमल (अकारंमल) जन्म 1956 के नाम अकारंमल पुत्र भागु अकारंमल (अकारंमल) जन्म 1956
 नाम अकारंमल के बगल अकारंमल पुत्र भागु अकारंमल (अकारंमल) जन्म 1956 के नाम अकारंमल पुत्र भागु अकारंमल (अकारंमल) जन्म 1956

श्रीमानजी रिपोर्ट पटवारी अकारंमल पुत्र भागु अकारंमल (अकारंमल) जन्म 1956 के नाम अकारंमल पुत्र भागु अकारंमल (अकारंमल) जन्म 1956
 क्रमांक - राजस/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर दिया है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/ उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिरक्षा की जाती है।

22/10/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुंसुनू (राज.)
 - आदेश -

दिनांक :- 14-10-2021

110/2021

प्रार्थी के ख्याता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में गिम्नासिका दर्ज प्रविष्टि को गिम्नासिका रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	ख्याता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	धरणा	2075-78	230	अकारंमल पुत्र भागु अकारंमल जन्म - 1956	अकारंमल पुत्र भागु अकारंमल जन्म - 1956

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक - राजस/2020/ 90-91
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 14-10-2021

- 1 तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को धारते पालना।
- 2 प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचना

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी